दावा अन्तर्गत धारा 88,53,93–ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 05/02/2026

वाद पत्र में वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक हाजिर, प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद पत्र वादीगण बाद निर्णय वादीगण के पक्ष में साबित होने पर स्वीकार किया जाकर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,92–ए के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है–

ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नंबर 2709/1231 की 12.650 हैक. बारानी भुमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 5.060 हैक् भुमि के वादीगण एवम् प्रतिवादी सं. 3 ब हि. ब. विरासतन के अधिकारी है। पूर्व दर्ज राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कल्मजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम पु. आ. ब. हि. ब. विरासतन दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/पु.आ. पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested